भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3290

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 की समीक्षा

3290. डॉ. शशि थरूर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 17वीं लोक सभा के विघटन के साथ बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 के व्यपगत होने से पहले शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच के परिणामस्वरूप कोई रिपोर्ट, सिफारिशें/अन्य सामग्री प्राप्त हुई थी;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने के संबंध में कोई नया पुनरावलोकन/हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या समिति की जांच के दौरान प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने का विचार है और यदि हाँ, तो समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ने 21.12.2021 को संसद में 'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को संवीक्षा हेतु शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। 17वीं लोक सभा के विघटन के परिणामस्वरूप उक्त विधेयक निरस्त हो गया।

समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, समिति द्वारा विधेयक की संवीक्षा के दौरान इस मंत्रालय से टिप्पणियां मांगने हेतु समिति से कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जिनके उत्तर मंत्रालय द्वारा समिति को उपलब्ध करा दिए गए थे।

(ग) और (घ): सरकार समय-समय पर कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव तथा हितधारकों से प्राप्त फीडबैक (राय) के आधार पर उचित उपाय करती है
